मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 28-07-2025

क्रमांक **F-1/1/4/0028/2025-Sec-1-10(FOR)** :: वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मन्दसौर के आदेश क्र./111 दिनांक **17.06.2025** द्वारा श्री तूफान सूर्यवंशी, वनरक्षक का बीट शामगढ पूर्व वन परिक्षेत्र गरोठ से गेमरेंज अभ्यारण्य गांधीसागर पश्चिम में स्थानांतरण किया गया।

2/ उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध श्री तूफान सूर्यवंशी, वनरक्षक द्वारा मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक **22265/2025** में मान. न्यायालय, द्वारा दिनांक **20.06.2025** को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है , जिसके कार्यकारी अंश निम्नानुसार है:

Thus, in the available facts of the case, it is directed that the representation dated 19.06.2025 [Annexure P/8] of the petitioner be decided by respondent No.1 within a period of three weeks from the date of receipt of certified copy of this order by passing a reasoned and a speaking order and and by affording due opportunity of hearing to the concerned parties. The petitioner is also directed to produce certified copy of this order along with a copy of his representation and any relevant document before respondent No.1 within a period of seven days from today.

3/ श्री तूफान सूर्यवंशी, वनरक्षक द्वारा दिनांक **19.06.25** को प्रस्तुत अभ्यावेदन में लेख किया है कि उनका स्थानांतरण बीट शामगढ पूर्व वन परिक्षेत्र गरोठ से गांधीसागर गेमरेंज पश्चिम में किया गया था। पारिवारिक समस्या को देखकर माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्याया. द्वारा समस्या के निराकरण का आदेश दिया है उनके द्वारा म.प्र. शासन स्थानांतरण नीति के तहत न तो आवेदन दिया गया था और न ही निवेदन किया गया था। इस हेतु पारिवारिक समस्या को देखते हुए व उनके बालक का केन्द्रीय विद्यालय शामगढ में पढाई हेतु आगे जारी रखने के लिए भी उनको शामगढ में निवासरत होने की आवश्यकता को देखते हुये उक्त स्थानांतरण स्थगित कर यथावत पदस्थिति रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

4/ श्री तूफान सूर्यवंशी, वनरक्षक को वनमण्डलाधिकारी मन्दसौर के पत्र **क्र0/स्था0/2018/600**, दिनांक **10.09.2018** से वन परिक्षेत्र गरोठ में पदस्थ किया गया था जिसके पालन में श्री तूफान सूर्यवंशी वनरक्षक दिनांक **05.09.2018** को वन परिक्षेत्र गरोठ में उपस्थित हुए। इस प्रकार श्री तूफान सूर्यवंशी वनरक्षक दिनांक **05.09.2018** से वर्तमान

कक्ष/कर्मचारी का नाम
अ.प्र.मु.व.स. (सू.प्री.)

(लगभग 07 वर्ष) तक वन परिक्षेत्र गरोठ के अंतर्गत बीट शामगढ़ पूर्व में पदस्थ रहे हैं।

5/ गेमरेंज अभयारण्य गांधीसागर पश्चिम में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना चीता प्रोजेक्ट प्रचलित होने से प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर श्री तूफान सूर्यवंशी, वनरक्षक का बीट शामगढ़ पूर्व वन परिक्षेत्र गरोठ से गेमरेंज अभ्यारण्य गांधीसागर पश्चिम में स्थानांतरण किया गया है एवं नवीन पदस्थापना स्थल पर भी बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्ण विचारोपरांत श्री तूफान सूर्यवंशी, वनरक्षक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक **19.06.2025** को अमान्य कर नस्तीबद्ध करता है।

Digitally signed by
Rajbendra Mishra
Date: 28-07-2025
09:17:07

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक **F-1/1/4/0028/2025-Sec-1-10(FOR),** भोपाल दिनांक **28-07-2025**

प्रतिलिपि:-

1.विशेष सहायक, मान. राज्य वनमंत्री जी वन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2.स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6.संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी .... मध्यप्रदेश।
7.संबंधित .... द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

EX OFFICIO DEPUTY SECRETARY
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग